



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रलिस के ललल:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), ज़ीरो प्रीमियम, सब्सडी, फसल बीमा

मेन्स के ललल:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकारी नीतलल और हसुकषेप

करक में करुु?

वरुष 2019-20 में फसल बीमा योजना से बाहर नकलने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#) में फरल से शामिल हो गई है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

परकलल:

- PMFBY को वरुष 2016 में लॉनक कलल गया तथा इसे कृषल और कसलन कललण मंत्रालय द्वारा प्रशासल कलल जा रहा है ।
- इसने **राष्ट्रीय कृषल बीमा योजना (NAIS)** और संशोधल **राष्ट्रीय कृषल बीमा योजना (MNAIS)** को परवलरतल कर दलल ।

पलरतल:

- अधसूकल कषेतरुु में अधसूकल फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार कसलनुु सहल सभी कसलन कवरेज के ललल पलर है ।

उददेशुु:

- प्राकृतकल आपदाओुु, कीटुु और रोगुु या कसलल भी तरह से फसल के खराब होने की सुथललल में एक वुुापक बीमा कवर प्रदान करना तलकल कसलनुु की आय को सुथरल करने में मदद मलल सके ।
- खेती में नरलरतल सुनशुुकल करुुने के ललल कसलनुु की आय को सुथरल करना ।
- कसलनुु को नवलन और आधुनकल कृषल पदधतललुु को अपनाने के ललल प्रुुतसलहलल करना ।
- कृषल कषेतर के ललल ःण कल प्रवलह सुनशुुकलल करना ।

बीमा कसलत:

- इस योजना के तहत कसलनुु द्वारा दी जाने वाली नरलधलरलल बीमा कसलत/प्रीमललम- खरलफ की सभी फसलुु के ललल 2% और सभी रबी फसलुु के ललल 1.5% है ।
- वलरुषकल वलणजुुकल तथा बलगवानी फसलुु के मलले में बीमा कसलत 5% है ।
- कसलनुु द्वारा भुगतलन की जाने वाली प्रीमललम दरें बहुत कम हैं और प्राकृतकल आपदाओुु के कारण फसल के नुकसलन के खललल कसलनुु को पूरल बीमा रलशल प्रदान करने के ललल शेष प्रीमललम कल भुगतलन सरकार द्वारा कलल जललण ।
- सरकारी सब्सडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है । यदल शेष प्रीमललम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन कलल जललण ।
 - इससे पहले प्रीमललम दर को सीमलल करने कल प्रलवधलन थल जसलके परणलमसवरुु कसलनुु को दलवुु कल कम भुगतलन कलल जललण ।
 - यह कैपणल प्रीमललम सब्सडी पर सरकार के खरुक को सीमलल करने के ललल कलल जललण ।
 - इस सीमा को अब हटा दलल गलल है और कसलनुु को बनल कसलल कटुुती के पूरल बीमा रलशल ।

PMFBY के तहत तकनीक कल प्रलणग:

फसल बीमा एप:

- यह कसलनुु को आसलन नलमलंकन की सुवधल प्रदान करता है ।
- कसलल भी घटना के घटलल होने के 72 घंठुु के भीतर फसल के नुकसलन की आसलन रणलरटणल की सुवधल ।

- नवलनतम तकनीकी उपकरण:** फसल के नुकसलन कल आकलन करने के ललल सैटेलाइट इमेजरी, रमलोट-सैसणल तकनीक, डुरोन, कृतरुललल बुदधमलतुु और मशीन लरुनणल कल उपलण कलल जललण है ।


- PMFBY पुरलटल:** भुमरलकलरुुड के एकीकरण के ललल PMFBY पुरलटल की शुरुआत की गई है ।

हलल ही में हुए बदललव:

- यह योजना पहले ःणी कसलनुु के ललल अनवलरुु थल, लेकनल वरुष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी कसलनुु के ललल वैकलुपकल बना दलल

है।

- पहले बर्मांकित प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच के अंतर सहित औसत प्रीमियम सब्सिडी की दर राज्य तथा केंद्र द्वारा साझा की जाती थी एवं राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने बजट से औसत सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी का वसूला करने के लिये स्वतंत्र थे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत **गैर-सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा कसित की दरों पर केंद्र सरकार की हसिसेदारी को 30% और सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये 25%** तक सीमात करने का नरिणय लया है। पहले, केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नरिधारत नही थी।



PMFBY से संबंधित मुद्दे:

- **राज्यों की वित्तीय बाधाएँ:** राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं।
 - राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनियों किसानों को राज्यों और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमियम दर से कम मुआवज़ा देती हैं।
 - राज्य सरकारें समय पर धनराशि जारी करने में विफल रही हैं जिसके कारण बीमा क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी हुई है।
 - इससे किसान समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- **दावा निपटान संबंधी मुद्दे:** कई किसान मुआवज़े के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
 - ऐसे में बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की जिस कारण दावों का भुगतान नहीं किया गया।
- **कार्यान्वयन के मुद्दे:** बीमा कंपनियों द्वारा उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं।
 - बीमा कंपनियों अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशिश करती हैं कि फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए।

आगे की राह

- इस योजना से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में निवेश करना चाहिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिये दो प्रतिशत का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

2. इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात और बेमौसम बारिश), कीटों एवं बीमारियों से फसल कटाई से पूर्व तथा बाद के नुकसान को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
- प्रमुख बंदि
 - सभी खरीफ फसलों के लिये किसानों द्वारा केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - वार्षिक वाणजियिक और बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाना है।
 - किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
 - सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यद्यपि प्रीमियम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
 - प्रीमियम की सीमा अब हटा दी गई है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशिका भुगतान किया जाएगा।
 - प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिये फसल कटाई के डेटा का एकत्रण और अपलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग किया जाएगा। फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-pmfby>

